आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–08 / 2023	
16.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में मौजूद है। प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार FCI से आवश्यकता के अनुरूप अनाज नहीं मिलने के कारण कई जगहों पर दिक्कतें आईं। आयोग FCI द्वारा कम अनाज दिये जाने को गंभीरता से लेता है। आयोग सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वे सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से पत्राचार कर इस आशय की जानकारी मांगे कि FCI द्वारा कम अनाज दिये जाने के विरूद्ध केन्द्र से पत्राचार किया गया है अथवा नहीं। यदि पत्राचार किया गया है तो उसकी प्रति मंगाया जाय। इस निर्देश के साथ आयोग वाद को निष्पादित करता है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx65	